न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी-3564/2018/अशोकनगर/भू.रा.

1. अमित पुत्र रामकृष्ण
2. श्याम पुत्र रामकृष्ण
3. रामनारायण पुत्र हनुमंतसिंह

समस्त जाति रघुवंशी निवासीजन चन्दन बेंहटा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

—निगरानीकर्ताजन

वनाम

रामरतन सिंह पुत्र गोपालसिंह जाति रघुवंशी निवासी चन्दन बेंहटा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

—प्रतिनिगरानीकर्ता

6.6.18

श्री एम. गुप्ता

... दि. 6.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19.6.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 के तहत। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ईसागढ़ के प्र. क्र. 13/अपील/2017—18 के अन्तरिम आदेश दिनांक 18/05/2018 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में सविनय निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है—

रामनारायणसिंह

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3564 / 2018 / अशोकनगर / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर,
02/07/–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सी0 एम0 गुप्ता उपस्थित होकर यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 13 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18.5.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर की आदेश पत्रिका दिनांक 18.5.18 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया है, लेकिन आदेश पत्रिका में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि धारा–5 का आवेदन क्यों स्वीकार किया गया है। जबकि उनके द्वारा विस्तार पूर्वक यह उल्लेख करना चाहिये था कि इस कारण से धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ का	

प्रकरण कमांक निगरानी 3564 / 2018 / अशोकनगर / भूरा

अंतिरिम आदेश दिनांक 18.5.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 13 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18.5.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर को प्रत्यावर्तित किया जता है कि धारा–5 के आवेदन का (विस्तारपूर्वक) कारण दर्शाते हुये आदेश पारित करें, आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य